

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
इश्वरराम पुत्र हनुमानराम गार रंगारी	नी म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 346 /2021		GCMS No. 2021/1153
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
14.12.2024	<p>वादी श्री <u>इश्वरराम</u> पुत्र <u>हनुमानराम</u> जाति <u>गार</u> निवासी <u>रंगारी</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>जेमा वेमडिण्डा</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत <u>2074-2077</u> ग्राम <u>ओगपुप</u> पटवार मण्डल <u>कुकरगारी</u> के खाता नम्बर <u>99</u> मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि <u>इश्वरराम पुत्र हनुमानराम</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम <u>इश्वरराम पुत्र हनुमानराम</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>008385700600</u> आधार नम्बर <u>948882377846</u> मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज <u>की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</u> इस संबंध में हल्का पटवारी <u>कुकरगारी</u> भू.अ.नि <u>पौन्वा</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसारनाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	

1395-1387

